परियोजना का नाम :–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव से भंकोली मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 1.7915 है०)।

भाग– ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या....................

7. परियोजना/स्कीम का स्थान– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव से भंकोली मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 1.7915 है०)।

i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	–	उत्तराखण्ड राज्य
ii)	जिला	–	उत्तरकाशी
iii)	वन प्रभाग	–	उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	–	आरक्षित 0.0175 है० सिविल 1.7740 है०भूमि का
v)	वन की कानूनी स्थिति		–आरक्षित/सिविल सोयम
vi)	हरियाली का घनत्व	–	0.4
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	–	वृक्षों की परिगणना सूची संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज/संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	–	भूक्षरण के लिए संवेदनशीलता नहीं है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	–	वन सीमा के अन्दर है।
	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजंर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	–	प्रमाण पत्र संलग्न है।
x)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।		–प्रमाण पत्र संलग्न है।
xi)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/	–	प्रमाण पत्र संलग्न है।
xii)	रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेंत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या		

8– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। – प्रस्तावित वन भूमि आवश्यक एवं न्यूनतम है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है।